न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/27/2024	22.05.2024	19.06.2024

1–रमेश चन्द पुत्र लालजीराम जाति अहीर निवासी ग्राम रामपुरा की ढाणी तन इस्माईलपुर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजार (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1–सुबेसिंह पुत्र लालजीराम जाति अहीर निवासी ग्राम रामपुरा की ढाणी तन इस्माईलपुर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजार (राज0)
2–सरोज पत्नी दीपक उपनाम नत्थूराम पुत्र अमर सिंह जाति अहीर निवासी कान्हावास तहसील रैवाडी जिला रैवाडी हरियाणा ।
3–रोशनी पत्नी नवल सिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति अहीर निवासी केशोपुरा तहसील बावल जिला रैवाडी हरियाणा।
4–तहसीलदारा खैरथल जिला खैरथल–तिजारा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री अमर सिंह सैनी –वकील प्रार्थी

02. श्री संजय यादव –वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबासयायाल में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली सुबेसिह बनाम रमेश को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि प्रार्थी व सुबेंसिंह की कृर्षि भूमि वाके ग्राम इस्माईलपुर में स्थित है, जिसके बटवारे का वाद सुबेसिंह बनाम रमेश के नाम से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री मौके के अंकन के अनुसार रिपोर्ट मगवायी गयी जिसमें पूर्व में नायब तहसीलदार द्वारा कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट बनायी गयी। जिस पर आपत्ति पेश करने पर न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मगवायी गयी। जिसमें नायब तहसीलदार खैरथल द्वारा मौके का अवलोकन किया गया मौका

अवलोकन करने के पश्चात नक्शा मौका दिया गया जो नक्शा दिया गया उसके अनुसार मौका रिपोर्ट नही बनायी गयी एव अन्य रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जिसकी रिपोर्ट आने पर मेरे द्वारा एतराज किया एतराज प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास का स्थानान्तकरण हो गया वर्तमान में नये उपखण्ड अधिकारी आये है, उनके द्वारा तारीख पेशी दिनाक 29.04.2024 को मेरे द्वारा न्यायालय में उपस्थित रहने पर भी प्रोफार्म मौका विवादित आराजी का बनाया गया था वो नही लिया गया। प्रतिवादी सुबेसिह उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के सम्पर्क में है, जिसने मुझे यह धमकी दी है, कि फैसला मेरे पक्ष में होगा खुल्लेआम रिपोर्ट मेंरे करने अनुसार बनायी गयी है, रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि सुबेंसिह को फायदा पहुचाने का प्रयास किया जा रहा है। और उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास 29.04.2024 की वार्ता से भी ऐसा लग रहा है, कि उक्त प्रकरण में सुबेंसिंह को लाभ देना चाहते है। प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है, न्याय को समझता है, पालन करता है। और न्याय में पूर्ण विश्वाश रखता है, लेकिन प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास मिली भगत का एहसास हो रहा है, सही न्याय की उम्मीद नही है। दिनाक 03.05.2024 को श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्रावली सुबेसिंह बनाम रमेश अन्य न्यायालय को स्थानान्तकरण के बाबत पेश की गयी थी, उस दिन मेंरे पास उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में रहे प्रकरण की समस्त सत्य प्रतिलिपि प्रार्थी के पास नही थी। आज मेने समस्त सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर श्रीमान के सम्क्ष वाद स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर रहा हूँ। उक्त प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दो–दो दिन की तारीख पेशी लगायी जा रहीं है, जिससे प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिल स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ बास में विचाराधीन बअनुवान प्रकरण सुबेसिंह बनाम रमेश अन्य दिगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के यहां दावा तकासमा कृर्षि भूमि जेर दफा 53 एवं दावा इश्तकरारहक जेर दफा 88 दावा स्थाई निषेघआज्ञा जेर दफा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है, कि उक्त प्रकरण में वादी/प्रतिवादी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा हर तारीख पेशी पर अन्तिम अवसर दिया जाकर प्रकरण में पैरवी करने हेतु आदेशित क़िया है, किन्तु प्रतिवादी/प्रार्थी ने मुझ जवाबदासर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को लम्बित करने की नियत से उक्त प्रार्थना पेश किया गया है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की बाबत तहसीलदार खैरथल को मौका कमीशनर नियुक्त किया है, किन्तु प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा मौका रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर नही किये है, और अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में देरी करने की नियत से प्रकरण में हर बार अन्तिम अवसर दिये जाने पर पैरवी की गयी है। जिससे साफ रोशन होता है कि प्रतिवादी /प्रार्थी उक्त प्रकरण को देरी करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जबकि न्यायालय द्वारा नियमित सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र द्वेषभावना पूर्वक पेश किया गया है, जो हर सुरत में खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी एक राजनीतिक व्यक्ति है, जो उक्त प्रार्थना पत्र की आड में प्रकरण में देरी करना चाहता है। प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा काबिले खारीज है। मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया का खारिज किया ज़ावे।

हमने पत्रावली एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में जाहिर किया है, कि न्यायालय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण ब0मु0 सुबेसिंह बनाम रमेशचन्द अन्तर्गत धारा दावा तकासमा कृषि भूमि जेर दफा 53 एवं दावा इश्तकरारहक जेर दफा 88 दावा स्थाई निषेधआज्ञा जेर दफा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। जिसमें सुनवाई की आगामी तारीख पेशी दिनाक 26.06.2024 नियत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के मुताबिक सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी द्वारा मनघडन्त व गलत आरोप प्रार्थना–पत्र में लगाकर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल कराने का प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो स्वीकार नहीं है, फिर भी अदालत उचित समझे तो प्रार्थना–पत्र बाद सुनवाई स्वीकार कर अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करे, तो न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास की आदेशिकाओ से जाहिर है, कि उक्त प्रकरण वादी सुबेंसिंह द्वारा दिनाक 21.07.2016 को वाद न्यायालय मे पेश किया गया है, आदेशिका दिनाक 16.04.2019 को पत्रावली में साक्ष्य वादी बन्द कर वास्ते साक्स प्रतिवादी हेतु नियत की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य पेश नही किया। आदेशिका दिनाक 04.03.2022 को पक्षकारान की बहसी सुनी जाकर वाद में प्रारम्भिक डिक्री किया गया है। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा की जा रही कार्यवाही पर भी आक्षेप अंकित किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, पीठासीन अधिकारी द्वारा उनवानी प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाए रखे जाने की नियत से प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र न्यायालय को पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

1— यह है कि मैं प्रार्थी रमेश पुत्र श्री